

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का संख्याक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग पत्र निम्न खाते के आगे वर्णित दिनांकों को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की मांग करते हुए संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों में भुगतान करने के लिए निर्गमित किया। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर को विशेषतया तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करे तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से सम्बन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया गया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम ऋणी एवं जमानतियों का नाम व पता	मांग नोटिस की तिथि	बकाया धनराशि	बंधक चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण
1.	शाखा : रुद्रपुर, उधमसिंह नगर मैसर्स युनिवर्सल इण्डिया सेफ्टी एण्ड ग्लास वर्क्स श्री पुनीत मेहता पुत्र श्री सुरेन्द्र मोहन मेहता श्री कार्तिक मेहता पुत्र श्री विकास मेहता	04.11.2016 कब्जे की तिथि 30.08.2017	Rs. 11,74,977.00 + देय ब्याज दिनांक 01.08.2017 से + ब्याज व अन्य खर्च जमा यदि कोई है	व्यवसायिक सम्पत्ति, हाउस नं./सर्वे नं. 97/2 मिन (व्यक्तिगत प्लॉट नं.-80) क्षेत्रफल 139.40 वर्ग मीटर, जो हंस विहार, भूरारानी, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर में स्थित है और श्री पुनीत मेहता पुत्र श्री सुरेन्द्र मोहन मेहता के नाम पर है। सीमाएं-पूरब में अन्य की भूमि, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में व्यक्तिगत प्लॉट नं. 79, दक्षिण में व्यक्तिगत प्लॉट नं. 81

दिनांक : 02.09.2017
 स्थान : क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी
 अधिकृत अधिकारी
 कब्जा सूचना - Sept 02, 2017

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरकारी एक्ट) 2002 ए शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित कर्जदार से बैंक के प्रत्यक्ष ऋणों का बकाया रुपये 2,87,08,006.25 (दोई इर्याद सहित, की वसूली उनके ऋण खाते में बैंक परिसम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहाँ है" और जो कुछ भी है के आस्तियों/अचल परिसम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार से है-

कर्जदार का नाम और बकाया राशि की वसूली जिसके लिए सम्पत्ति बेची जा रही है	सम्पत्ति का विवरण और स्थान	आरक्षित (₹)
मैसर्स सनलैंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री संजीव एस असोपा (निदेशक एवं गारन्टर) श्री हेमन्त कुमार (निदेशक एवं गारन्टर) ₹ 2,87,08,006.25 (दिनांक 30.11.2013 तक) साथ में प्रभावी ब्याज, खर्च और अन्य प्रभावी और नोटिस जारी करने के बाद की गुप्तता घटा कर	सम्पत्ति सं. ई-45 का सम्पूर्ण प्रथम तल, परिपाम 126.5 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्रफल) छत का अधिकार नहीं तथा सीढ़ियाँ (स्टेयरकेस) में एक मजनीन रुम (प्रथम तल और द्वितीय तल के बीच) साइड सीढ़ियाँ, रास्ता, पवेश, नीचे भूमि में स्थानुपाय हिस्सा सहित, जो कि नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 में स्थित है, यह सम्पत्ति मैसर्स सनलैंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। सम्पत्ति की चौहददी इस प्रकार है : पूरब - 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम - 100 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर - प्लॉट सं. 44, दक्षिण - प्लॉट सं. 46 + 15 फीट चौड़ी सर्विस रोड़।	₹ 110. लाख
बोली गुणांक		₹ 50,000.00
सम्पत्ति का निरीक्षण		15.09.2017 (पूर्व)
ईएमडी सहित बिड ऑन लाईन फार्म जमा करने की तिथि व समय		19.09.2017 (साय)
सम्पत्ति की ई-नीलामी की तिथि व समय		20-09-2017 को प्रत्येक 10 मिनट के

- नियम एवं शर्तें :
- सम्पत्ति, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की देखरेख में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स <https://www.bankauctions.com> पर ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।
 - ई-नीलामी दस्तावेज, जिनमें बिड फार्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें दी गई हैं, बिड ऑनलाइन कर सकते हैं या इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स की ई-बुक या प्रहिराणा से हेल्प लाईन नं. 0124-4302020/21/22/23, 7291981124/1125/1126, ई-मेल आईडी : sup है।
 - बिड फार्म, निर्धारित प्रारूप में "ऑनलाइन" के माध्यम से <https://www.bankauctions.com> द्वारा जमा की नीलामी से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु मैसर्स की ई-बुक या प्रहिराणा से उपरोक्त विवरणानुसार सम्पर्क करें।
 - इच्छुक बोलीदाताओं का एक पैक ई-मेल आईडी होना अनिवार्य है।
 - बिड फार्म, निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज दिल्ली शाखा : 9/ दिल्ली-110001 के पास जमा करें। बिड फार्म और ईएमडी (घरोहर राशि) किसी भी वजह से ई अधिकारी को कोई भी ऑफर या सभी ऑफर्स स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नील है।
 - ईएमडी / बिक्री मूल्य को ईएमडी/एनईएमडी/आरटीएस के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी, युनाइटेड ओवरसीज दिल्ली शाखा : 9/90, प्रथम तल, ब्लॉक-पी, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 अ अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में, डीडी/ पेय ऑर्डर, दिल्ली में देय हो जमा करना होगा।
 - ईएमडी रहित बिड फार्म तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 - ऑनलाइन नीलामी ऊपर दी गई तिथि व समय पर स्वतः प्रारंभ हो जाएगी।
 - नीलामी/बिडिंग केवल <https://www.bankauctions.com> के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिडिंग हो
 - सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। सम्पत्ति सर्वोच्च बोलीदाता को बेची जाएगी, उक्त सर्वोच्च सहित) 24 घण्टे के अंदर जमा करनी होगी और उक्त सर्वोच्च बोलीदाता को खरीद मूल्य की शेष राशि बिक्री की गई अवधि के भीतर जमा करनी होगी, जिसकी लिखित रूप में अनुमति दी गई है।
 - निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में जमा राशि और घरोहर राशि और/या प्रारम्भिक जमा राशि उच्च बोलीदाता / सफल क्रेता का उपरोक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।
 - बिक्री मूल्य की राशि के पूर्ण भुगतान के पश्चात सफल क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र (बोली प्रपत्र के अनुसार) जा सम्पत्ति "जैसा है जहाँ है तथा जो है जैसा है आधार" पर बेची जा रही है। खरीदार को बोली देने से पहले किसी र बारे में स्वयं अपने आप जांच कर लेनी चाहिए।
 - प्रत्याभूत क्रेडिटर्स / बैंक बिक्री की जा रही सम्पत्तियों के संबंध में प्रमार: (अ) व्यवसायिक टैक्स ऑफिसर से प्राप्त न कभिशनर के ऑफिस से - प्रत्र में दावा राशी र. न्यु. फिर भी इच्छुक बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर को कोई कारण बताए ई-नीलामी स्थिति/प्रास्थिति/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
 - सफल क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण प्रसार, शुल्क इत्यादि जो कि भारत सरकार के प्रमार/फीस/लागत देय होगा।
 - बेची गई सम्पत्ति/आस्तियों के संबंध में सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं अथवा किसी व्यक्ति को देय अन्य कोई देय एकमात्र रूप से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
 - ई-नीलामी में भाग लेने से पहले, समावित खरीदार को स्वयं/खुद को सी : इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ प लिए, वेबसाइट www.bankauctions.com में ऑनलाइन फॉर्म भरनी की जरूरत है। ऑनलाइन फॉर्मिकरण व होते हैं व्यक्तियों के अलावा अन्य बोलीदाताओं को ई-बोली-प्रक्रिया के लिए उचित प्रारूप भी अपलोड करना होगा
 - बिक्री की पुष्टि ए स ए नं. 51 / 2014 के अन्तर्गत संज्ञीय एस असोपा बनाम युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के माम मामले के परिणाम के अनुरूप में होगी।
 - यदि उधारकर्ता पूर्ण राशि का भुगतान ई-नीलामी की स्वीकृती से पहले जमा कर देता है, तो ई-नीलामी पर कार्य
 - यह प्रकाशन उपरोक्त कर्जदार / गारन्टर के लिए सरकारी एक्ट 2002 के नियम 8(8) के अधीन सांविधिक 30 दिन बोलीदाता की ओर से किसी चूक/विफलता हेतु न तो यूबीआई और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐ आवश्यकता के अनुसार विजिली आपूर्ति बैंक-अप जैसी आवश्यक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध। इच्छुक बोलीदाता सम्पत्ति के निरीक्षण/ई-नीलामी के संबंध में आगे विवरण के लिए सम्पर्क करें प्राधिकृत अधि शाखा : 9/90, प्रथम तल, ब्लॉक-पी, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 02-09-2017, स्थान : नई दिल्ली

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
 [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ANG INDUSTRIES LIMITED

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of Corporate Debtor	ANG INDUSTRIES LIMITED
2. Date of Incorporation of Corporate Debtor	24th July, 1991
3. Authority Under Which Corporate Debtor is Incorporated / Registered	Registrar of Companies - NCT of Delhi and Haryana
4. Corporate Identity Number / Limited, Liability Identification Number of Corporate Debtor	L51909DL1991PLC045084
5. Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office: 101-106 Sharda Chamber-IV, Plot No. 42, 3 Local Shopping Complex Kalkaji, New Delhi - 110019. Factories: 1. A-197, Eldeco Sidcul, Industrial Area, Sitarganj, Uttarakhand 2. 19-A, Udyog Vihar, Greater Noida 3. 150-A, Sez, Noida.
6. Insolvency Commencement Date in Respect of Corporate Debtor	31.08.2017
7. Estimated Date of Closure of Insolvency Resolution Process	180 days from date of Commencement
8. Name, Address, Email Address and the Registration Number of the Interim Resolution Professional	Name: Mr. Ilam Chand Kamboj Address: Kamboj Law Chambers, 401 A, Arcadia Commercial Tower, Unitech Arcadia, South City II, Sector 49, Gurugram - 122018, India. Email: angcirp@gmail.com REG No: IBBI/IPA-002/IP-N00056/2016-2017/10108
9. Last Date For Submission of Claims	14th September 2017

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process for ANG INDUSTRIES LIMITED on 31st August, 2017. The creditors of ANG INDUSTRIES LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims on or before 14th September, 2017 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against item 8. The submission of proof of claims is to be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations 2016. The proof of claim is to be submitted by way of the following specified forms along with Affidavit and documentary proof in support of claim in, **Form B**- Claim by Operational Creditors, **Form C**- Claim by Financial Creditors, **Form D**- Claim by Workman or an Employee, **Form E**- Claim submitted by Authorized Representative of Workmen and Employee. The above mentioned forms can be downloaded from the website www.ibbi.gov.in may be obtained from the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The Financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. The operational creditors, including workmen and employees, may submit their proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 01-09-2017
 Place: New Delhi
 Signature
ILAM CHAND KAMBOJ
 Interim Resolution Professional

RELIANCE
 रिलाइंस कैपिटल लि.
 रिलाइंस कैपिटल लि., 260-261, देव हाऊस, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, न्यू फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065

जैसे कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ परिचय धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रिलाइंस कैपिटल लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी जिसे मैं अधोलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता से सूचना में उल्लिखित बकाया देय राशि को इस पर भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर से आगे की ब्याज और सभी लागतों व प्रभारों सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा गया। कर्जदार द्वारा निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्राधिकृत अधिकारी ने आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अन्तर्गत उधारकर्ता से भुगतान करने के लिए निर्गमित किया। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। सम्बन्धित ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करे तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से सम्बन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया गया है।

Alchemist
 डी-54
 फेक्स:

अचल प्रतिभूत सम्पत्तियों की "जहाँ है जैसी है" एवं 6 के आधार पर बिक्री (जिसका कब्जा दिन प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अ

क्रणी	बकाया राशि
क्रांमती	₹ 35,09,101/-
लवली एवं श्री बसन्त राज	(रूपये पैंतीस लाख नौ हजार एक सौ एक मात्र) दिनांक 26.04.2016 को